

,fD l l ;fuof lVh mÜkj çn'k vf/kfu;e] 2011

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2011)

[जैसा उ0प्र0 विधानमण्डल द्वारा पारित एवं राज्यपाल द्वारा दिनांक अप्रैल 4, 2011 को अनुमति प्रदान की गयी तथा 6 अप्रैल, 2011 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।]

रूमा, कानपुर नगर में एक्सिस एजुकेशनल सोसायटी, कानपुर द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम एक्सिस युनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

परिभाषाएँ

(क) “विद्यापरिषद्” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है;

(ख) “बोर्ड” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड और नियोजन बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से है;

(ग) “कुलाधिपति”, “प्रतिकुलाधिपति”, “कुलपति” और “प्रति-कुलपति” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) “सभा” का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;

(ङ) “निदेशक/प्राचार्य” का तात्पर्य किसी महाविद्यालय; संस्था, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) “विभाग” का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसन्धान केन्द्र भी है;

(छ) “कर्मचारी” का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(ज) “कार्यपरिषद्” का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् से है;

(झ) “विद्यमान महाविद्यालय” का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) “संकाय” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) “छात्रावास” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/ छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) “संस्था” “महाविद्यालय” का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो ;

(ड) “विहित” का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(ढ) “अभिलेखों और प्रकाशन” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशन से है ;

(ण) “समिति” का तात्पर्य सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन दिनांक 23-10-2008 को सब-रजिस्ट्रार, कार्यालय कानपुर में पंजीकृत एक्सिस एजुकेशनल सोसायटी, 117/एन/88, काकादेव, कानपुर से है ;

(त) “परिनियमों” और “अध्यादेशों” का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है ;

(थ) “छात्र” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में नामांकित दर्ज किसी छात्र से है ;

(द) “विश्वविद्यालय के अध्यापक” का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(ध) “कोषाध्यक्ष”, “कुलसचिव”, “उप कुलसचिव”, “वित्त अधिकारी”, परीक्षा नियंत्रक”, “पुस्तकालयाध्यक्ष” या “कुलानुशासक” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है ;

(न) “विश्वविद्यालय” का तात्पर्य धारा-3 के अधीन स्थापित एक्सिस युनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश से है ;

3-(1) रुमा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में समिति द्वारा एक्सिस युनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

विश्वविद्यालय की स्थापना

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

4-समिति जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगी, अर्थात :-

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण, करेगी जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा ;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम पाँच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर की प्रतिस्थापना ;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिए परिनियम और अध्यादेशों का बनाया जाना ;

(च) ऐसी अन्य शर्तें जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय ;

5-(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये समिति को प्राधिकार-पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

(2) राज्य सरकार, समिति से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित की, धारा 4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, सम्बन्धित असंदिग्ध शपथ-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार-पत्र जारी करेगी।

6-विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझें, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :-

विश्वविद्यालय का उद्देश्य

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी हैं, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकें ;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन,

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अंतःक्रिया;

7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

विश्वविद्यालय की
शक्तियाँ

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना ;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शनशास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु भी परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना ;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर, एमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को जैसा कि वह अवधारित करें, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह-आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्रध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियाँ करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना ;

(ञ) देश और विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों की स्थापना और अनुसंधान करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो ;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना ;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे ;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना ;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है ;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन करना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिये व्यवस्था करना ;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और विक्रय/पट्टा/ किराया के माध्यम से किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना ;

(फ) समिति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के सापेक्ष आडमान या बंधक के रूप में उधार लेना ;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसी अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) व्याख्यानादि का अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हो।

8—(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे। **प्रवेश और मानक**

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक यथास्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय इत्यादि के दिशा-निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक-छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

9—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहाँ से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :-

विश्वविद्यालय के
अधिकारी

- (क) कुलाधिपति
- (ख) प्रति कुलधिपति
- (ग) कुलपति
- (घ) प्रति कुलपति
- (ङ) निदेशक/प्रधानाचार्य
- (च) कुलसचिव
- (छ) संकायाध्यक्ष
- (ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष
- (झ) परीक्षा नियंत्रक
- (ञ) मुख्य कुलानुशासक
- (ट) कोषाध्यक्ष
- (ठ) वित्त अधिकारी, और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

11-(1) समिति के प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति **कुलाधिपति** की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्यपरिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति समिति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

12-(1) प्रति-कुलाधिपति की नियुक्ति समिति की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष **प्रतिकुलाधिपति** के लिये की जायेगी।

(2) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति-कुलाधिपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

13-(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से **कुलपति** की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, कोई प्राधिकारी या व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

14—(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय। **प्रतिकुलपति**

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी समिति द्वारा अवधारित की जाय।

15—प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसी विहित की जाय। **निदेशक/प्राचार्य**

16—(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय। **कुलसचिव**

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(3) कुलसचिव कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् का पदेन सचिव होगा।

17—प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय। **संकायाध्यक्ष**

18—कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय। **कोषाध्यक्ष**

19—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय। **वित्त अधिकारी**

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाए। **अन्य अधिकारी**

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

- (क) सभा ;
- (ख) कार्य परिषद् ;
- (ग) विद्या परिषद् ;
- (घ) वित्त समिति ;

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- (ड) नियोजन बोर्ड ;
- (च) संकाय बोर्ड ;
- (छ) प्रवेश समिति ;
- (ज) परीक्षा समिति, और
- (झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

22—(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, यथा :—

- (क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्यापकों का सुझाव देना ;
- (ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;
- (ग) ऐसे किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना जो उसे परामर्श हेतु संदर्भित किये जाय ;
- (घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

23—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा। **कार्य परिषद्**

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

24—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा। **विद्या परिषद्**

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

25—(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी। **वित्त समिति**

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

26—(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें। **नियोजन बोर्ड**

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इनकी अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं।

27—संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं। **संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी**

28—(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम बनाएगी। **परिनियमों को बनाने की शक्ति**

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात:-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ;
- (ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरन्तरता, सदस्यों की शक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक हो ;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलक्षियाँ ;
- (घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलक्षियाँ ;
- (ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना का दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति ;
- (च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा, समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है ;
- (छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त ;
- (ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया ;
- (झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;
- (ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;
- (ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;
- (ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना ;
- (ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना ;
- (ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना ;
- (ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और
- (त) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम में विहित किये जाने हों या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्यपरिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्यपरिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात तदनुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

29—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात :-

अध्यादेश बनाने की शक्ति

- (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना ;
- (ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;
- (घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय ;
- (ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों के लिये प्रभार्य शुल्क ;
- (च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें ;
- (छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं ;
- (ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;
- (झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थाएँ, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना ;
- (ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ ;
- (ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शास्त्रीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;
- (ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी हैं, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति ;
- (ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य ;
- (ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक ;
- (ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो।

30—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् सभा को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

(2) सभा अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

31—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

वार्षिक लेखा

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्यपरिषद् के प्रेक्षण सहित सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

32-(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कार्य-परिषद् को निर्दिष्ट किया जायेगा जो मामले को सन्दर्भित किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्यपरिषद् के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

33-(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए अपील कर सकता है।

अपील करने का अधिकार

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

34-विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन, कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन निश्चित किया जाए।

कर्मचारी भविष्य निधि और कल्याणकारी योजनाएं

35-यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक, रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

36-जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

समितियों का गठन

37-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, या नाम निर्दिष्ट या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिए जो नियुक्त या सहयोजित किया गया हो यथाशक्य शीघ्र भरा जायेगा।

रिक्तियों का भरा जाना

38-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

कार्यवाही की
अविधिमान्यता

39-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित मामले और संव्यवहार को जहां मूल प्रस्तुत किया जाय, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के
अभिलेखों
को प्रमाणित करने
की रीति

40-(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

परिनियमों और
अध्यादेशों
का प्रकाशन

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नया परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

41-(1) समिति कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

स्थायी विन्यास
निधि

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

42-(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :-

सामान्य निधि

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिये किया जायेगा।

43-(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात् :-

विकास निधि

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

- 44-**धारा 41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय। **निधि का अनुरक्षण**
- 45-**विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा। **वित्तीय शर्तें**
- 46-**विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा। **शुल्क**
- 47-**(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय। **सूचना और अभिलेख मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ**
- (2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा 51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे।
- 48-**(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा। **विश्वविद्यालय का विघटन**
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।
- 49-**(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा। **विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय**
- (2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।
- 50-**(1) जहाँ राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय। **राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना**
- (2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में दुष्प्रबंधन या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।
- (3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथन के उल्लंघन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।
- (4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाली सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :-

- (क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना ;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;
- (ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;
- (घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;
- (ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निर्देश देगी की वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार का स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधियाँ विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

51-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

52-इस अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व भी हैं, समिति से सम्बन्धित हो जायेंगे।

विघटन/मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियाँ/उत्तरदायित्व की प्राप्ति

53-(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य एवं कारण

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21, सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक्सिस एजुकेशनल सोसायटी, 117/एन/88 काकादेव, कानपुर द्वारा प्रायोजित एक्सिस युनिवर्सिटी, कानपुर नगर के नाम से उत्तर प्रदेश में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसे निगमित करने का विनिश्चय किया गया है जिससे विद्यार्थियों और अध्यापकों को शिक्षा में अभिनवीकरण के उन्नयन के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधाएं प्रदान की जा सकें जिससे पाठ्यक्रमों की समुचित संरचना, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

तदनुसार एक्सिस युनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया जाता है।